



Kolkata's Kalman Cold Storage Retired

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनेसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

How Old Is the Telugu Script?

Damri, Thela, Pie, Anna

epaper.rashtradoot.com

"For us and most of our Anglo-Indian neighbours, Kalman's cold cuts and cured meats were winter musts," says Helen Thakur, nee Meyer

भाजपा सरकार उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में थी?

इस संभावना से आतंकित जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया और जब भाजपा हाईकमान त्याग पर कार्यवाही नहीं कर रहा था तो धनखड़ ने इस्तीफे की खबर अपने टिवटर हैंडल पर डाली

-रेपु मित्तल-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो-

नई दिल्ली, 22 जुलाई। कमो मोदी सरकार विरोध ही है। क्या नेताओं का असंतोष मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहचान बनता जा रहा है, क्योंकि वे हर घटनाकाल के कथानक पर नियन्त्रण करने की कोशिश तथा सिफ़े अपनी बात मनवाने और कोशिश करने की खोज लाती संस्कृति को सुनिश्चित कर रहे हैं?

जगदीप धनखड़ का इस्तीफा और उससे जुड़े तात्पर विवादों से यह साफ़ दिखता है कि मोदी सरकार किसी भी असमर्थन में नहीं कर सकती। सरकार का साझे और सीधे संदेश है - इस सरकार में सिर्फ़ हीं मौजिए वालों के लिए ही जगह है।

चोरी का अविश्वासित से इस्तीफा मांगा गया है या इस्तीफा दिल्ली ब्लूरो-

जो नेताजी एक ही है - प्रधानमंत्री और उनकी टीम की साथ को बड़ा झटका लगा है।

खबर है कि सरकार उपराष्ट्रपति और

- वैसे भी धनखड़ आरएसएस के नजदीक माने जाते हैं तथा संघ के दबाव में ही धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया था और उसके पहले परिशम बंगाल का राज्यपाल।
- कहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत व प्र. मंत्री नरेन्द्र मोदी के तनाव की स्थिति की भी कुछ छाया तो नहीं है, धनखड़ प्रकरण पर।
- इसके अलावा, हाल ही में अपनी कोटा यात्रा के दौरान, धनखड़ ने काफ़ी तीखी आलोचना की थी, कोटा की कोशिश क्लॉसेज की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने इस पर भारी आपत्ति की थी, क्योंकि अधिकार नियन्त्रण इन्स्टीट्यूट के संस्थापक व संचालक ओम बिड़ला के नजदीक के लोग बताये जाते हैं। ओम बिड़ला ने अपनी आलोचनाओं से गृह मंत्री अमित शाह को अवगत कराया था और एक बार फिर जगदीप धनखड़ की पेशी हुई अमित शाह के सामने।
- कई सालां अनुत्तरित हैं, इस प्रकरण में, जिनका जवाब आना अभी बाकी है।

राजसभा के सभापति के खिलाफ़ रही थी। अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर दोपहर बाद प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ

मनियों के साथ बैठक की और फैसला किया कि अब कार्यवाही का समय आ गया है। राजनाथ सिंह से भें सेवानिवृत्त कर देंगे। करीब 62 साल तक भारतीय वायुसेना के सेवा देने के बाद मिंग-21 को चंडीगढ़ एयरबेस पर एक खास समरोह में विदाई दी जाएगी। मिंग-21 को 1963 में वायु सेना में शामिल किया गया था। इस विमान ने 1965, 1971, 1999 और 2019 की सभी बड़ी सैमंगली कार्रवाईयों में भाग लिया है। मिंग-21 एक हल्का यात्रक यात्रक फाइटर जेट है। सेवियत रूप से नियोन-युरेविच डिजाइन ब्लूरो ने इसे

- सूत्रों ने बताया कि 62 साल वायु सेना में सक्रिय रहे हैं इन विमानों को चंडीगढ़ एयर बेस पर एक समारोह में विदाई दी जाएगी।

1959 में बनाना शुरू किया गया था। यह विमान 19 जानूरी टरक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है ये एयर बेस के उड़ान भरने के तुरंत इस महत्वपूर्ण मुद्दों से व्याप्त भटकाने के मिकोयान-युरेविच डिजाइन ब्लूरो ने इसे

क्या जगदीप धनखड़ प्रकरण "मैच फिक्सिंग" का मामला है?

अंततोगत्वा कांग्रेसाध्यक्ष को धनखड़ प्रकरण पर कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी

-रेपु मित्तल-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो-

नई दिल्ली, 22 जुलाई। जगदीप धनखड़ के इस्तोने ने कांग्रेस पार्टी को भीतर से ज़क़ाज़ार दिया है।

कांग्रेस अध्यक्ष नियन्त्रण खड़गों ने साफ़ कहा है कि धनखड़ जाएं या रहें, यह बोलेंगे का अंदरूनी मामला है। इस मुद्दे का इस्तेमाल देश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों से व्याप्त भटकाने के मिकोयान-युरेविच डिजाइन ब्लूरो ने इसे

एआईसीसी मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने, जगदीप धनखड़, जो कि कुछ दिन पूर्व तक कांग्रेस के शान्त नंबर एक थे, की खुली तारीफ करके बड़ी अटपटी स्थिति पैदा की।

कई नेताओं व संसदीयों ने खड़गों से मिलकर जयराम की इस प्रशंसा को खिलाफ शिकायत की।

गत दिसंबर माह में कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों ने जगदीप धनखड़ के इस्तोने की योजना बनाई थी, पर, प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, क्योंकि, जयराम रमेश पहले अपना ही नाम गलत लिख दिया था तथा अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन का नोटिस देने की अनिवार्य औपचारिकता भी पूरी नहीं की थी, क्या यह "मैच फिक्सिंग" का मामला नहीं था।

परन्तु, अब स्वयं भाजपा सरकार धनखड़ को कठघरे में खड़ा कर देना चाहती है। अतः कथानक एक बार फिर गहरा रहा है।

जबादेही व संयम की ज़रूरत पर ज़ेरो दिया। उन्होंने जहां तक संभव हो सका, विपक्ष को जगह देने की कोशिश की। यह नियमों, प्रक्रियाओं और मर्यादाओं के लिए एक स्थेत्र संदेश दिया है जो पूर्व उपराष्ट्रपति की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। इनमें सर्वसेवा के लिए एक स्थेत्र संदेश दिया है जो अंदरूनी मामलों को अंदरूनी बोल चुके हैं। लेकिन दिल्लीवाले बात यह है कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस की सोनीया गांधी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से इकाकर कर दिया है। जयराम रमेश ने एक ट्रीटी में लिखा:

"धनखड़ जी ने किसानों के हितों वह नियमों, प्रक्रियाओं और मर्यादाओं के पक्षे थे।"

धनखड़, जिन्हें कुछ समय पहले तक कांग्रेस का दुश्मन नंबर एक बार

जारी रखा था, उनकी इतनी प्रसंगा से पार्टी में कई लोगों की भौंहें तन गई हैं।

कई नेताओं और सासदों ने खड़गों से इस पर नाराज़ी जारी, जिसके बाद खड़गों ने सार्वजनिक रूप से पार्टी की स्थिति साफ़ कर दी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान हाई कोर्ट में 7 नये न्यायाधीशों की अधिसूचना जारी

विधेयकों पर राज्यपाल की मंजूरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकारों को नोटिस भेजा

मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर आए "प्रैसिडेंशियल रैफरेंस" पर यह नोटिस भेजा गया है

■ सुप्रीम कोर्ट की, सीजेआई बी.आर. गवर्नर के नेतृत्व वाली 5 सदस्यीय संविधान बैंच ने नोटिस जारी करने के बाद मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख दी है, साथ ही एटर्नीज़ जनरल आर. वैक्टरमणी को कोर्ट की साहायता करने का निर्देश दिया है।

■ गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की, जस्टिस जे.बी.पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बैंच ने 8 अप्रैल 2025 को फैसला दिया था कि राज्यपाल अनिश्चितकाल के लिए विधेयकों को दबाव कर रखने की अनिवार्यता है। उन्होंने यह निर्देश भी दिया, कि जब राज्यपाल कोई देशी हो तो संबंधित राज्य के बताना होगा, इस निर्णय के अनुसार, राज्यपाल को विधेयक पर आए हैं।

■ इस अदेश पर 15 मई को राष्ट्रपति मुर्मू ने "प्रैसिडेंशियल रैफरेंस" भेजा, जिसमें 14 संवैधानिक सबल उठाए, जिनमें प्रमुख था कि क्या कोर्ट राष्ट्रपति व राज्यपाल को विधेयकों की मंजूरी हेतु "समय सीमा" के लिए बाध्य कर सकता है कि संविधान में न्यायपालिका को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है।

और न्यायपूर्ति आर. मादेवन की पीठ ने कहा था कि राज्यपाल अनुच्छेद 200 में एक निर्दिष्ट समयसीमा को अनुसिद्धि करने के बाद गवर्नर के नेतृत्व वाले संबंधित राज्य को बताना होगा, इस निर्णय के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति को कहा था कि राज्यपाल अनुच्छेद 200 में एक निर्दिष्ट समयसीमा को अनुसिद्धि करने के बाद गवर्नर के नेतृत्व वाले संबंधित राज्य को बताना होगा, यदि विधेयकों पर सहभाग देने में उसका संघर्ष अनुच्छेद 200 के अनुसार भी किया जाए। चाहिए।

इस निर्णय की अन्य मुख्य बातें थीं कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति को विधेयकों पर विधेयकों के बाद गवर्नर के नेतृत्व वाले संबंधित राज्य को बताना होगा, किं